देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क के लिये लक्ष्य

720. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश के कतिपय ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार-नेटवर्क के दायरे में लाने के संबंध में वर्ष 1991-92 के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां तो कितने नये दूरभाष-केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य था और इस लक्ष्य के अनुसार कितने दूरभाष कनेक्शन देने का लक्ष्य था;

(ग) क्या यह सच है कि निर्धारित अवधि में यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है;

(घ) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के दौरान कितने दूरभाष-केन्द्र स्थापित किये गये और कितने दूरभाष कनेक्शन दिये गये;

(ङ) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक दूरभाष कनेक्शन दिये गये है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे दूरभाष कनेक्शनों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी हां, पंचायत गांवों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करके देश के 12000 ग्रामीण क्षेत्रों को दूरसंचार नेटवर्क में शामिल करने का प्रस्ताव था ।

(ख) 1991-92 में पंचायत टेलीफोन प्रदान करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी नए टेलीफोन एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) जी नहीं, कुल 21752 पंचायत टेलीफोन प्रदान किए गए जोकि इस संबंध में वास्तविक लक्ष्य से कहीं अधिक है ।

(घ) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

डाक विभाग में डा० अम्बेडकर की फोटो का लगाया जाना

721. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार मंत्रालय द्वारा डाक विभाग के कार्यालयों में बाबा साहब डा. अम्बेडकर की फोटो न लगाये जाने के लिए कोई निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो जी. पी. ओ. लखनऊ में पिछले वर्ष लगाई गई डा. अम्बेडकर के फोटो को, जिसका अनावरण उत्तर प्रदेश परिमंडल के तत्कालीन महाडाकपाल ने किया था, हटाये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जी. पी. ओ., लखनऊ से डॉ. अम्बेडकर की फोटो को हटाये जाने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उक्त अपराध के लिये उनके विरुद्ध डाक विभाग द्वारा क्या कार्यवाई की गई है ; और

(ङ) उक्त फोटो को उसी स्थान पर पुनः कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (घ) लखनऊ जी. पी. ओ. में पोस्टमास्टर जनरल द्वारा डा. अम्बेडकर

के किसी चित्र को नहीं लगाया गया है या उसका अनावरण नहीं किया गया है । तथापि, कुछ कर्मचारियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ जी. पी. ओ. में डा. अम्बेडकर का एक चित्र अस्थाई रूप से लगाया था, कार्यक्रम के बाद इसे हटा दिया गया था और आयोजकों को सौंप दिया गया था ।

Jobs for silver plating of cable Termination box being manufactured by Telecom Factory, Calcutta

722. SHRI GHUFRAN AZAM : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kongavi Electronics Private Limited, Bangalore has been entrusted by the Telecom Factory, Calcutta during the year 1991-92 to undertake jobs for silver plating of some parts and spares of cable termination box being manufactured by the factory ;

(b) whether despite high rate of the company's performance during the year, it is not being appropriately given opportunity to work for the same job to be awarded on the basis of tender ;

(c) whether the company has made representations but all in vain ;

(d) whether any tender is under consideration of the factory ; and

(e) if so, what are the facts and details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : (a) Yes, Sir.

(b) Past performance is taken into consideration while making tender evaluation.

(c) No such representation has been received from the Company.

(d) Yes, Sir.

(e) (1) Tendered Quantity 120 Lakhs.

(2) M/s. Kongavi Electronics Private Limited Bangalore is one of the ten firms who have quoted against the tender.

Recovery of loans taken by 1984 riot victims

723. SHRI SAMAR MUKHERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the recovery of dues from November, 1984 riot victims are still stayed as per Supreme Court's orders dated 7th November, 1989 in Writ Petition Nos. 457, 859 "Harjit Singh Vs. Union of India" ;

(b) whether Government has communicated these orders of Supreme Court to lower Courts in Delhi ;

(c) what action Government has taken for keeping the cases pending in the lower courts in Delhi pertaining to November, 1984 riot victims until such time the guidelines are laid down by the Reserve Bank of India and also in the light of the fact that Government has already constituted a Committee to work out the modalities for reducing the burden of borrowers as published in Hindustan Times of 3rd January, 1992 ; and

(d) whether Government propose to issue instructions to Lower Courts in Delhi to keep the cases pending and ensure that forcible recoveries are not made in case the guidelines of Government and the Report of the Committee is likely to take more time ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (d) Pursuant to the Supreme Court orders dated the 7th November, 1989 Reserve Bank of India (RBI) had issued suitable instructions in December, 1989 to all commercial banks. These instructions *inter alia* included that the Banks will not have recourse to recovery proceedings until they had decided the case of each individual concerned in accordance with the advice of RBI. The banks will